उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

संख्या बी-4-91/दस-95-6-65

लखनऊ, 23 फरवरी, 1995

[कार्यालय-ज्ञाप]

राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों एवं अग्रिमों (स्वायत्तशासी निकायों को जल-सम्पूर्ति योजना के लिए ऋण को छोड़कर) पर वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी0-4-1019/दस-94-6-65, दिनांक 7 अक्टूबर, 1994 द्वारा ब्याज की जो प्रभावी दरें अनन्तिम रूप से निर्धारित की गई हैं उन्हें अब अन्तिम रूप दे दिया गया है। तद्नुसार वर्ष 1994-95 में अन्तिम रूप से ब्याज की प्रभावी दरें निम्नलिखित होंगी :-

क्रम-संख्या	ऋण की किस्म	ऋण की अवधि	वार्षिक ब्याज की दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)
1	2	3	4
1	यू0 पी0 एफ0 सी0, पिकप, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0, यू0 पी0 एस0 आई0 सी0 आदि जैसी संस्थाओं, जो औद्योगीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करती है, को ऋण	दस वर्ष की अवधि तक	13
2	(क) सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में मध्यम एवं बृहत स्तरीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को कार्यशील पूंजी अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डैफिसिट के लिए ऋण	दस वर्ष की अवधि तक	18-1/2
	(ख) "क" में वर्णित संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय, अग्रिम एवं कैश डैफिसिट से भिन्न ऋण	दस वर्ष की अवधि तक	16
3	(क) सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में लघु स्तरीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय, अग्रिम एवं कैश डैफिसिट के लिए ऋण	दस वर्ष की अवधि तक	18-1/2
	(ख) "क" में वर्णित संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय, अग्रिम एवं कैश डैफिसिट से भिन्न ऋण	दस वर्ष की अवधि तक	14-1/2
4	लघुत्तर उद्योगों के लिए ऋण	चार वर्ष तक	11
		चार वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अधिक नहीं	11-1/2
5	उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् तथा यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 को ऋण	(दस वर्ष की अवधि तक उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के ऋणों हेतु अवधि अभी तय नहीं)	14-1/2
6	अन्य ऋण	दस वर्ष की अवधि तक	13

2- वित्तीय वर्ष 1994-95 में राज्य सरकार द्वारा जो ऋण की स्वीकृतियां अनन्तिम ब्याज दर पर जारी की गई हैं, उनमें ब्याज की दरों को तद्नुसार अन्तिम रूप देने हेतु आवश्यक संशोधन तुरन्त जारी कर दिया जाय।

3- स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के पैरा 225 में दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

4- जल-सम्पूर्ति की योजना के लिए ऋणों पर ब्याज की दर निम्नवत् होगी :-

(क) विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऋणों पर ब्याज की दर इण्टर नेशनल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन तथा राज्य सरकार द्वारा निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार होगी।

(ख) अन्य क्षेत्रों के लिए ऋण पर ब्याज की दर जीवन बीमा निगम से जल सम्पूर्ति योजना के लिए प्राप्त होने वाले ऋणों के लिए प्रचलित ब्याज की दर से समतुल्य होगी।

5- ब्याज की उक्त दरें प्रभावी (इफेक्टिव) दरें हैं। स्वीकृति के आदेशों में ब्याज की दरें उपरोक्त प्रभावी दरों से 3-1/2 प्रतिशत (साढ़े तीन प्रतिशत) अधिक निर्धारित की जाएगी और उनमें इस आशय की शर्त रहेगी कि नियत समय पर ऋण/ब्याज का प्रतिदिन दान/भुगतान करने की दशा में ब्याज की दर में 3-1/2 (साढ़े तीन प्रतिशत) की छूट दी जाएगी अर्थात् प्रभावी दर (इफेक्टिव रेट) पर ही ब्याज लिया जाएगा। ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान न होने पर अथवा कोई कालातीत रहने पर ऋण की स्वीकृति के आदेश में निर्धारित दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान करने में तिथि (डिफाल्ट) होने पर स्वीकृति के आदेश में निर्धारित दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। दंड की दण्डात्मक दर मूल राशि और/अथवा ब्याज की प्रतिदेय किस्तों पर उसकी अदायगी की निश्चित तारीख से वास्तविक अदायगी की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख तक लागू होगी।

6. तकाबी नियमों के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों के आदेश पृथक रूप से राजस्व व कृषि विभाग द्वारा निर्गत किए जाते हैं तथा राज्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दरें अलग से निर्धारित की जाती हैं।

7. साधारणतया कोई भी ऋण दस वर्ष से अधिक की प्रतिदान अवधि का नहीं स्वीकृत किया जाएगा किन्तु ऐसे मामले जिनमें प्रतिदान की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो शासन को सन्दर्भित किए जाएं। ऋण की प्रतिदान अवधि ऋण के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाए और इस अवधि को कम से कम समय के लिए ही सीमित रखा जाय।

8. निर्धारित तिथि से पूर्व अदा की गई किसी भी किस्त को पूरी तरह मूलराशि के लिए ही समझा जाएगा बशर्ते उसके साथ अद्यतन तिथि तक किस्त की वास्तविक अदायगी के लिए ब्याज भी हो। अगर ऐसा नहीं है तो किस्त की राशि पहले पूर्ववर्ती और चालू अवधि के लिए देय ब्याज के साथ समायोजित की जाएगी और अगर कोई शेष राशि हो तो उसे मूल राशि के साथ प्रयुक्त किया जाएगा। जहां किस्त की अदायगी निश्चित तारीख से 14 अथवा उससे कम दिन पहले की गई हो तो ब्याज पूरी अवधि के लिए देय होगा।

9. यदि किसी योजना पर ब्याज की दर, जो अन्तिम नहीं है, अनुच्छेद-1 व 4 में दी गई ब्याज की दरों से अधिक है तो ऐसी स्थिति में अधिक ब्याज दर लागू रहेगी।

10. यदि ऋण की अवधि में संशोधन करके अवधि बढ़ाई जाती है तो ब्याज की दर लम्बी अवधि के समतुल्य होगी मानो ऋण बढ़ी हुई अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। ऐसे मामलों में जब ऋण की वापसी-अदायगी शुरू हो चुकी हो तो ऋण की अवधि में विस्तार किए जाने की तारीख तक ऋण के बचे हुए भाग पर ब्याज की संशोधित दर लागू होगी।

11. उन मामलों में जहां ऋणों की रियायती दर पर अथवा ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया जाता है, वापसी-अदायगी में कोई चूक होने अथवा ऋण का उपयोग भिन्न प्रयोजन के लिए किए जाने की स्थिति में ऋणों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य दरों पर ब्याज प्रभार्य होगा।

12. यदि किसी मामले में इस कारण ब्याज रियायती दर पर लिया जाता है, कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले साधारण ब्याज की दर के अन्तर के बराबर भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तो ऐसे समस्त मामले तुरन्त वित्त विभाग को ब्याज दर निर्धारित करने के लिए भेज दिए जाने चाहिए तथा साथ में भारत सरकार के नवीनतम लिखित आदेश की एक प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिसमें उन्होंने ब्याज की दर को सहाध्यित करने की सहमति प्रदान की हो।

13. जिन मामलों में राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का ऋण उनके एजेन्ट के रूप में स्वीकृत करती है और उसमें भारत सरकार की यह स्पष्ट शर्त होती है कि अन्तिम ऋण गृहीता को एक निर्धारित ब्याज की दर पर ही ऋण दिया जाएगा तो ऐसी स्थित में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ही लागू रहेगी। इसी प्रकार जहां राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं (जैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि) से प्राप्त धनराशि से ऋण दिया गया हो तो ब्याज की दर वही होगी जो उस संस्था द्वारा वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित की गई हो। यदि यह शर्त राज्य सरकार ने मान ली हो।

14. कार्यशील पूंजी हेतु स्वीकृत किए जाने वाले ऋणों की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा अर्थोपाय अग्रिम की वसूली एक वर्ष के अन्दर की जाएगी।

5. राजकीय निगमों/उपक्रमों के लिए दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या वी-4-3773/दस-6-65, दिनांक 15 फरवरी, 1973 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

वी0 वेंकटाचलम,
वित्त सचिव,
(वित्त आयोग)।

संख्या वी-4-91 (1)/दस-95/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं मुख्यालयों के अध्यक्ष।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश वैरिया,
विशेष सचिव।

पी0ए0यू0पी0—ए0पी0 163 सा0 वित्त—29-3-95—(4424)—1995—2,500 (हि0)।